अपील सूचना अधिकार संख्या 30/2018(RCMS: 2018/00083) अत्तवानी राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अति0जिला कलक्टर (सर्तकता), श्रीगंगानगर

20–06–2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। अप्रार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्त0), श्रीगंगानगर से उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी के विरूद्ध हर्जाना 25,000/– रूपये विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये जावे एवं अपील स्वीकार कर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्त0) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

> राजेश गुप्ता पुत्र श्री जीतमल गुप्ता कनिष्ट लेखाकार। लेखाकार के पद स्थापित जिला कोषागार श्रीगंगानगर ने जिस–जिस अवधि में जहां जहां कार्य का निष्पादन सरकारी डयूटी में कार्य किया है उस कार्यालय का नाम व कर्मकार राजेश गुप्ता के पद की सूचना व हाजरी रजिस्टर का अवलोकन।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 799 दिनांक 28.05.2018 द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में अपीलार्थी राधेश्याम को निम्न प्रकार से उत्तर दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक सीजी/वायक/18/591 दिनांक 21.05.2018 के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित न होकर सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण उक्त विभाग द्वारा अपीलार्थी को जरिए पत्र क्रमांक 283–285 दिनांक 07.05.2018 द्वारा आवेदन का निस्तारण किया जा चुका है।

सहायक निदेशक, उद्यान ने अपने पत्रांक 283–285 दिनांक 07.05.2018 से अपीलार्थी राधेश्याम को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से सूचित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह है कि आप द्वारा श्री राजेश गुप्ता पुत्र श्री जीतमल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी–II, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर के संबध में सूचना चाही है। आपके द्वारा चाही गई सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबधित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 8 (I) (j) के तहत अदेय है।

उक्त के अलावा सहायक निदेशक, उद्यान ने दिनांक 19.06.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निवेदन किया है कि उनका प्रथम अपीलीय अधिकारी – निदेशक, उद्यान, राजस्थान जयपुर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार** अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सहायक निदेशक, उद्यान विभाग से सम्बन्धित थी, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा अपीलार्थी राधेश्याम गोयल को दिनांक 07.05.2018 द्वार सूचित कर दिया था। निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सहायक निदेशक, उद्यान के अपील अधिकारी नही है बल्कि निदेशक महोदय उद्यान विभाग, जयपुर है। इसलिए प्रार्थी को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित अपील अधिकारी के समक्ष ही चाराजोही करनी चाहिए। **अतः अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी सहायक निदेशक, उद्यान को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर